न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 02 / 2019

1 नेमीचन्द पुत्र गुगनराम माता स्व. चुकली मेघवाल निवासी नान्द तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2 बिरजुराम पुत्र औंकारमल माता स्व. अणचली जाति मेघवाल निवासी आबुसर तहसील व जिला झुंझुनू।
3 मातुराम पुत्र लिछमण।
4 बीरबल पुत्र लिछमण समस्त जाति मेघवाल निवासीगण कुलोद कलां तहसील व जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 महाकोरी पुत्री मालाराम जाति मेघवाल निवासी नुंआ तहसील व जिला झुंझुनू।
2 महेन्द्र सिंह पुत्र गुगनराम माता स्व. चुकली जाति मेघवाल निवासी नांद तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3 पतासी पुत्री मालाराम पत्नी झाबरमल जाति मेघवाल निवासी नुंआ हाल निवासी भूरासर का बास तहसील व जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील बखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड
अधिकारीझुंझुनू बउनवानी मुकदमा महाकोरी
बनाम महेन्द्र सिंह दावा संख्या 38/2018
बखिलाफ आदेश व डिक्री दिनांक 06.06.2018

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सन्दीप गर्ग, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 38/2018 में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 ने दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि गत खसरा नम्बर 169 हाल खसरा नम्बर 282 वाके ग्राम भूरासर का बास पटवार हल्का नयासर तहसील व जिला झुंझुनू प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में तामील विधि विरूद्व हुई है। तामील नोटिस पर जारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर्ता के हस्ताक्षर एवं दिनांक अंकित नही है। रजिस्टर्ड तामील के सन्दर्भ में आदेशिका पर कोई आदेश नही है जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत कर दी है। न्यायहित में आवेदन धारा 5 एवं अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। अपने कथनों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने आर.आर.टी. 2018(1) पेज 727, आर.आर.टी. 2016 पेज 946, डी.एन.जे. 2018 पेज 97, डी.एन.जे. 2018(1) पेज 63 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.04.2018 में तामील बाबत स्पष्ट रूप से आदेश अंकन है। मालाराम की मृत्यु के बाद गोरली देवी के नाम सारी जमीन का नामान्तकरण हो गया, 2004 से पूर्व पुत्रियों को बराबर हक नही था। मेरा गोद नामा रजिस्टर्डड है उसके आधार पर विचारण न्यायालय ने डिक्री जारी की है। गोदनामे को सिविल न्यायालय में चुनौति देकर निरस्त नही करवाया गया। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में हमने संलग्न नोटिसो का अवलोकन किया इन नोटिसों पर न तो आगामी तिथि का अंकन है, न ही जारी कर्ता के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में इन नोटिसो से तामील सम्यक नही मानी जा सकती है। जहां तक रजिस्टर्ड तामील का प्रश्न है विचारण न्यायालय मे आदेशिका में दिनांक 25.04.2018 को बिना किसी न्यायालय आदेश के वादी द्वारा सीधे ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तामील जरिये डाक रजिस्टर्ड करवायी जाकर रसीद डाक वादी द्वारा पेश करने का अंकन है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा तामीली प्रकिया विधि अनुसार करवाया जाना प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अत अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.01.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर